न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 01 / 2022

1 कालू खां पुत्र रूडा खां जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 21 मौहल्ला व्यापारियो का छावनी नीमकाथाना जिला सीकर राज.

अपीलांट

बनाम

1 फकीर मोहम्मद पुत्र रूडा खां
2 रमजान खां पुत्र रूडा खां
3 रफीक पुत्र कालू खां
4 फारूख पुत्र कालू खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नं. 21 मोहल्ला व्यापारियों का छावनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
5 उप पंजीयक महोदय नीमकाथाना जिला सीकर
6 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण अनुवानी फकीर मोहम्मद बनम
कालू खां आदि मु.नं. 326 / 2021 अपील
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सुशीला जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 02.02.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 326/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 343, 344, 370 वाके ग्राम वल्लभदासपुरा पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना प्रस्तुत किया। इस वाद में विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 से अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील नहीं हुई, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अपीलांट की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किए गये, अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये है। रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण रिमांड करने पर सहमति जाहिर की है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.23..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर